अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

चावली बनाम भूपसिंह आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट प्रकरण संख्या 134/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
14.06.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीया की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–01 व 02 आगामी तारीख पेशी तक, रोही मौजा ललानाबास जेतासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 78/81 के ख.नं. 190 की 2.9590 है0, ख.नं. 228/1 की 2.9080 है0, ख.नं. 234 की 2.2380 है0 कुल 8.1050 है0 एवं रोही मौजा ललानाबास जेतासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 80/82 के ख.नं. 126 की 2.9460 है0, ख.नं. 127 की 2.9460 है0, ख.नं. 142 की 0.1770 है0, ख.नं. 143 की 2.3140 है0 कुल 8.3830 है0 वादभूमि की यथास्थिति बनाये रखे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीया रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 25/07/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
20/6/2023	पत्रावली प्रार्थिया [illegible] तेनी के ली गई। प्रार्थिया स्वयं उपस्थित [illegible] की पहचान [illegible] की। प्रार्थिया [illegible] प्रार्थना पत्र में राजीनामा [illegible] अनुसार चलाना नहीं चाहती है। प्रकरण खारिज फरमावें। [illegible] का बयान [illegible] राजीनामा पत्रावली पर शामिल हो चुका है। प्रार्थिया का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] निस्तारण किया जाता है। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 18:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner